न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 04/अपील/23 तारीख दायराः 13.02.2023

उनवान अपील

मायाबाई पत्नी जीवन प्रकाश जाति भावसार निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड

अपीलार्थी

बनाम

01. वसीम चौधरी पुत्र जहूर अहमद जाति मुसलमान निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज0
02. जाकिर हुसैन पुत्र नन्ना भाई जाति मुसलमान निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज0
03. मौहम्मद हुसैन पुत्र जीमल हुसैन जाति मुसलमान निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज0
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण तहसीलदार पिड़ावा नामा0 संख्या 511 दिनांक 23.03.2015 ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मायाखेड़ी, तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़

उपस्थितः श्री रामबाबू माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट्स

–: निर्णय :– दिनांकः 14.02.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 01 लगायत 03 से उनके खातेदारी की भूमि खसरा नं0 52 में से 01 बिस्वा भूमि दिनांक 02.01.2015 को खरीद कर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन सहवन से बैचान पत्र दिनांक 02.01.2015 में खरीदशुदा भूमि का खसरा नं0 52 के स्थान पर 51 दर्ज हो गया, जिसकी वजह से अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि का नामा0 संख्या 511 खसरा न0 51 रकबा 01 बिस्वा खुल गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा एक रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र भी रेस्पो0 1 लगायत 3 से दिनांक 11.11.2019 को उपपंजीयक पिड़ावा से तस्दीक करवाया तथा खसरा नं0 52 की 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु रेस्पों 04 तहसीलदार पिड़ावा ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि जब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण 511 दिनांक 23.03.2015 निरस्त नहीं किया जाता तब तक शुद्धिपत्र के आधार पर खसरा नं0 52 की 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा जरिये अपील नामान्तरण 511 दिनांक 23.03.2015 निरस्त करने की इस्तदुआ की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पों0 01 द्वारा तामील लेने से इन्कार करने पर नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ तथा शेष

जिला कलक्टर
झालावाड़

रेस्पो 02 व 03 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हाने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई ।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित बिंन्दुओं को स्पष्ट करते हुए बताया कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 01 लगायत 03 से उनके खातेदारी की भूमि खसरा नं0 52 में 01 बिस्वा भूमि दिनांक 02.01.2015 को खरीद कर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन सहवन से बैचान पत्र दिनांक 02.01.2015 में खरीदशुदा भूमि का खसरा नं0 52 के स्थान पर 51 दर्ज हो गया, जिसकी वजह से अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि का नामा0 संख्या 511 खसरा न0 51 रकबा 01 बिस्वा खुल गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा एक रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र भी रेस्पो0 1 लगायत 3 से दिनांक 11.11.2019 को उपपंजीयक पिड़ावा से तस्दीक करवाया तथा खसरा नं0 52 की 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु रेस्पों 04 तहसीलदार पिड़ावा ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि जब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण 511 दिनांक 23.03.2015 निरस्त नहीं किया जाता तब तक शुद्धिपत्र के आधार पर खसरा नं0 52 की 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं किया जा सकता। उक्त नामान्तरण खारिज होने योग्य हैं। रेस्पोंडेण्ट्स का बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना भी यही दर्शाता है कि नामा0 निरस्त हो जाने से उन्हे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरण 511 दिनांक 23.03.2015 को निरस्त किया जावे।

हमने बहस वकील अपीलांट एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रथम दृष्टतया अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 511 दिनांक 23.03.2015 निरस्त करते हुए तहसीलदार पिड़ावा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपपंजीयक पिड़ावा द्वारा जारी शुद्धिपत्र दिनांक 11.11.2019 एवं रेकार्ड़ तथा मौके की स्थिति की विधिवत जांच व पक्षकारों की सुनवाई कर नये सिरे से विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार नामान्तरण तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील पिड़ावा को पालनार्थ प्रेषित है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़